FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

पाबुराम बनाम खेतराम वगैरह

किस्म मुकदमा रा० काश्त० 111, 128 RLRA Act नं 399/2020 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/12/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम दिवाच ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRA Act राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/01/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
28/01/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 07/04/2021 को पेश हो।	
07/04/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। पीठासीन अधिकारी [illegible] से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/12/21 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:25:35 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम/वाद/21/...
प्रार्थी
1. पाबुराम पुत्र ...
जाति ...

10/12/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनु०। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विपक्षी-गण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली दिनांक 24/12/2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

24/12/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनु०। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि पास-पास व सेढा सेढ आई हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी माडे व कोट आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेढो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के [illegible] पक्षकारों की नेपमबंदी मौके पर कमिश्नर [illegible] तैयार करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो. पत्रावली ओसत शुमार होकर इस [illegible] से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:25:35 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 21/1520 दिनांक 24/12/21

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पाबुराम पुत्र सुरताराम वगैरा जाति सुथार निवासी मिठियासरा तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. खेताराम पुत्र जसवन्ताराम वगैरा जाति सुथार निवासी मिठियासरा तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 399/2020

आदेश

मौजा मिठियासरा पटवार हल्का पनावड़ा के खेत खसरा नम्बर 393 रकबा 7.7098 हैक्टयर, खसरा नं. 408 रकबा 3.2522 हैक्टयर, खसरा नं. 411 रकबा 12.8874 हैक्टयर, खसरा नं. 431 रकबा 3.6567 हैक्टयर, खसरा नम्बर 433 रकबा 17.0214 हैक्टयर, खसरा नं. 459/408 रकबा 1.1326 हैक्टयर, खसरा नं. 462/411 रकबा 2.6859 हैक्टयर व मौजा पनावड़ा पटवार हल्का पनावड़ा के खेत खसरा नम्बर 427 रकबा 7.4833 हैक्टयर, खेत खसरा नम्बर 425 रकबा 4.5628 हैक्टयर की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 24/12/21

क्रमांक : वाद /21/1521-25

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का पनावड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी पाबुराम वगैरा।
4. विप्रार्थीगण खेताराम वगैरा।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:25:35 IST
Reason: SelfAttested